Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 7.025| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-15, Issue-1 | January – February – March 2026

Original Article

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण

डॉ. रश्मि रानी

इतिहास विभाग,

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

Manuscript ID:
yrj-150107

ISSN: 2277-7911
Impact Factor – 7.025

Volume 15
Issue 1
Jan-Feb-Mar.- 2026
Pp. 45 – 53

Submitted: 08 Jan. 2026
Revised: 24 Jan. 2026
Accepted: 10 Feb. 2026
Published: 10 Mar. 2026

Corresponding Author:
डॉ. रश्मि रानी

Quick Response Code:

Web. https://yra.ijaar.co.in/

DOI:
10.5281/zenodo.21469414

DOI Link:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21469414

सारांश:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता तथा समावेशी विकास के सिद्धांतों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। इस प्रक्रिया में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लोकतंत्र की सफलता तथा सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में देखा गया। भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया, जिसने उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक सुदृढ़ संवैधानिक आधार तैयार किया।[1]

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ने क्रमिक रूप से विकास किया है। प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक रूढ़ियों, शिक्षा के अभाव, आर्थिक निर्भरता तथा पितृसत्तात्मक संरचना के कारण महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति सीमित थी, किन्तु समय के साथ उनकी भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण, शिक्षा के प्रसार, महिला जागरूकता आंदोलनों तथा विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों ने महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का अवसर प्रदान किया है।[2]

आज महिलाएँ ग्राम पंचायतों से लेकर संसद, मंत्रिमंडल तथा उच्च संवैधानिक पदों तक अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और शासन, नीति-निर्माण तथा प्रशासनिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनकी बढ़ती राजनीतिक भागीदारी ने न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनाया है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय तथा कल्याणकारी नीतियों को भी नई दिशा प्रदान की है।[3]

प्रस्तुत अध्ययन में स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक एवं नीतिगत आधार, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण पर उसके प्रभाव तथा समकालीन चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण, लैंगिक समानता

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 7.025| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-15, Issue-1 | January – February – March 2026

तथा समावेशी राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त है। [4]

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, पंचायती राज, लोकतंत्र, महिला नेतृत्व, लैंगिक समानता, स्वतंत्रोत्तर भारत।

Creative Commons

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), *which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.*
How to cite this article:
डॉ. रश्मि रानी (2026). स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण. Young Researcher, 15(1), 45 – 53. https://doi.org/10.5281/zenodo.21469414

प्रस्तावना:

लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सक्रिय, समान तथा सार्थक भागीदारी पर निर्भर करती है। यदि समाज की आधी आबादी अर्थात् महिलाएँ राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया और शासन व्यवस्था से बाहर रह जाएँ, तो लोकतंत्र की वास्तविक भावना और उद्देश्य अधूरे रह जाते हैं। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संसाधनों के वितरण, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, सामाजिक न्याय की स्थापना तथा विकास की दिशा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण उपकरण भी है। इसलिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लोकतांत्रिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और लैंगिक समानता की आधारशिला माना जाता है।[2]

राजनीतिक भागीदारी किसी भी नागरिक के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आयाम है। जब महिलाएँ राजनीतिक संस्थाओं, निर्णय प्रक्रिया तथा शासन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तब वे न केवल अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में सक्षम होती हैं, बल्कि समाज के वंचित और कमजोर वर्गों की समस्याओं को भी प्रभावी ढंग से सामने ला सकती हैं। महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाती है।

भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक संरचना वाला समाज रहा है, जहाँ लंबे समय तक महिलाओं की भूमिका मुख्यतः घरेलू कार्यों और पारिवारिक दायित्वों तक सीमित मानी जाती रही। सामाजिक परंपराओं, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता तथा लैंगिक असमानताओं के कारण महिलाओं की सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। तथापि उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के प्रश्न को प्रमुखता से उठाया, जिसने आगे चलकर उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन महिलाओं की राजनीतिक चेतना और सार्वजनिक भागीदारी के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी तथा उषा मेहता जैसी महिलाओं

ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देकर यह सिद्ध किया कि महिलाएँ राजनीतिक नेतृत्व और जनआंदोलनों में प्रभावी भूमिका निभाने में पूर्णतः सक्षम हैं।[3] स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी ने स्वतंत्र भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए एक सशक्त आधार तैयार किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत महिलाओं को मतदान करने, चुनाव लड़ने तथा सार्वजनिक पदों पर आसीन होने का समान अधिकार प्राप्त हुआ।[4] यह निर्णय उस समय विश्व के अनेक देशों की तुलना में अत्यंत प्रगतिशील और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का परिचायक था। भारतीय संविधान ने महिलाओं को केवल कानूनी समानता ही नहीं प्रदान की, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसरों की स्थापना के लिए राज्य को विशेष उपाय करने का अधिकार भी दिया।

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का विकास:

स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत सीमित थी। इसका प्रमुख कारण सामाजिक रूढ़ियाँ, शिक्षा का अभाव, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक प्रशिक्षण की कमी तथा पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी।[5] अनेक परिवारों में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका घरेलू दायित्वों तक सीमित मानी जाती थी, जिसके कारण वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाती थीं।

स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा (1952) में महिला सांसदों की संख्या बहुत कम थी, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विद्यमान लैंगिक असमानता को दर्शाती थी।[6] किन्तु समय के साथ शिक्षा के प्रसार, शहरीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक जागरूकता के कारण महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति और प्रभाव में निरंतर वृद्धि हुई। आज महिलाएँ संसद, विधानसभाओं, नगर निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा रही हैं।

भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी तथा निर्मला सीतारमण जैसी महिला नेताओं ने नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और नीति निर्माण में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है।[7] इन महिलाओं की उपलब्धियों ने भारतीय समाज में महिला नेतृत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया तथा नई पीढ़ी की महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आगे आने के लिए प्रेरित किया।

महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी का प्रभाव केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने शासन व्यवस्था की प्राथमिकताओं को भी प्रभावित किया है। महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा, स्वच्छता, बाल विकास तथा सामाजिक

कल्याण से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय संविधान और महिलाओं के राजनीतिक अधिकार:

भारतीय संविधान महिलाओं को राजनीतिक समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों की व्यापक गारंटी प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है।[8]

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 महिलाओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और निर्वाचन प्रक्रिया में समान भागीदारी का अधिकार प्रदान करते हैं। इन संवैधानिक प्रावधानों ने महिलाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया तथा उन्हें राजनीतिक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मजबूत आधार प्रदान किया।

भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य भी लैंगिक समानता और महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। यही कारण है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार केवल सैद्धांतिक अवधारणाएँ नहीं रहे, बल्कि वे व्यावहारिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका:

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने की दिशा में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इन संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई।[9]

इस निर्णय ने लाखों महिलाओं को पहली बार राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान किया। वर्तमान समय में बिहार सहित अनेक राज्यों ने महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएँ ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों तथा नगर निकायों में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभा रही हैं।[10]

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण शासन व्यवस्था की प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पोषण, महिला सुरक्षा तथा बाल कल्याण जैसे मुद्दों को विशेष महत्व दिया है।[11] इससे स्थानीय शासन अधिक उत्तरदायी, संवेदनशील और जनोन्मुखी बना है।

इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी ने ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास, नेतृत्व

क्षमता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इससे महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों के प्रति चेतना का विकास हुआ है तथा वे स्थानीय स्तर पर विकास और परिवर्तन की सक्रिय भागीदार बनी हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाएँ भारतीय महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरी हैं, जिन्होंने महिलाओं को लोकतंत्र की जड़ों तक पहुँचाने और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

महिला सशक्तिकरण में राजनीतिक भागीदारी की भूमिका:

राजनीतिक भागीदारी महिला सशक्तिकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी आयाम है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव माना जाता है, जब महिलाएँ केवल मतदाता के रूप में ही नहीं, बल्कि नीति-निर्माता, प्रशासक, जनप्रतिनिधि तथा नेतृत्वकर्ता के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभाएँ। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उन्हें निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, आत्मविश्वास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती है।[12]

राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं को अपने जीवन और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में सहभागिता का अवसर प्रदान करता है। इससे महिलाएँ केवल अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होतीं, बल्कि वे समाज के वंचित, कमजोर और उपेक्षित वर्गों की समस्याओं को भी प्रभावी रूप से राजनीतिक मंच तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति शासन व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी तथा जनोन्मुखी बनाती है।

राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा, मातृ एवं शिशु कल्याण, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा तथा लैंगिक समानता से संबंधित नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जहाँ महिला प्रतिनिधित्व अधिक होता है, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशीलता देखने को मिलती है।[13]

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करती है। जब महिलाएँ नेतृत्वकारी भूमिकाओं में दिखाई देती हैं, तो समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है तथा पारंपरिक लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती मिलती है। इससे बालिकाओं और युवा महिलाओं में आत्मविश्वास और आकांक्षाओं का विकास होता है तथा वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित होती हैं।

राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना भी प्रदान

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 7.025| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-15, Issue-1 | January – February – March 2026

करती है। निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता परिवार और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत बनाती है तथा उन्हें आर्थिक और सामाजिक मामलों में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर देती है। इस प्रकार राजनीतिक भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुक्ति का भी महत्वपूर्ण माध्यम है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राजनीतिक रूप से सशक्त महिलाएँ अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व का स्रोत बनती हैं। वे समाज में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है और इसके बिना समावेशी लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है।[14]

भारतीय राजनीति में महिलाओं का योगदान:

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं ने राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तर पर राजनीति और शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर महिलाएँ न केवल प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं, बल्कि जटिल प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना भी कर सकती हैं।

भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की सशक्त पहचान स्थापित की। उनके नेतृत्व में भारत ने अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लिए, जिनका देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में महिलाओं की राजनीतिक क्षमता और नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।[15]

सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री के रूप में भारतीय कूटनीति को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं, जबकि मीरा कुमार ने लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण जैसी महिला नेता आर्थिक नीति निर्माण और राष्ट्रीय प्रशासन में प्रभावी योगदान दे रही हैं।[16]

राष्ट्रीय स्तर के अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में भी महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और जिला परिषदों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पोषण तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता प्रदान की है। इससे स्थानीय शासन अधिक संवेदनशील और जनोन्मुखी बना है।

महिला नेतृत्व ने राजनीतिक विमर्श की दिशा को भी प्रभावित किया है। महिलाओं ने घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, महिला सुरक्षा, बालिका शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य तथा कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस और नीति निर्माण का हिस्सा बनाया है। यह

भारतीय लोकतंत्र की समावेशी प्रकृति का महत्वपूर्ण संकेत है।[17]

भारत में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि अवसर मिलने पर महिलाएँ प्रभावी, संवेदनशील, उत्तरदायी तथा दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम हैं।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के समक्ष चुनौतियाँ:

यद्यपि स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक चुनौतियाँ आज भी विद्यमान हैं, जो उनकी सक्रिय और प्रभावी भागीदारी को सीमित करती हैं।

सबसे बड़ी चुनौती पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना और पारंपरिक सोच है, जिसमें राजनीति को अभी भी मुख्यतः पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। अनेक परिवारों और समुदायों में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका घरेलू दायित्वों तक सीमित समझी जाती है, जिसके कारण वे राजनीतिक गतिविधियों में अपेक्षित समय और ऊर्जा नहीं दे पातीं।[18]

राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को सीमित संख्या में टिकट दिया जाना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। चुनावी राजनीति में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में पुरुषों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम बना रहता है। इसके अतिरिक्त चुनावी राजनीति में बढ़ता आर्थिक व्यय और संसाधनों की आवश्यकता भी महिलाओं के लिए बड़ी बाधा सिद्ध होती है।

चुनावी हिंसा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की आक्रामक प्रकृति तथा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी अनेक महिलाओं को राजनीति में आने से हतोत्साहित करती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दबाव और पारिवारिक प्रतिबंध महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को प्रभावित करते हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की कमी, नेतृत्व प्रशिक्षण का अभाव तथा परिवार और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने की कठिनाइयाँ भी महिलाओं की राजनीतिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करती हैं। डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया पर होने वाले उत्पीड़न तथा चरित्र हनन की घटनाएँ भी आधुनिक समय में एक नई चुनौती के रूप में सामने आई हैं।[19]

इन चुनौतियों को दूर किए बिना महिलाओं की वास्तविक और प्रभावी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसलिए आवश्यक है कि समाज, सरकार, राजनीतिक दल और नागरिक संस्थाएँ मिलकर महिलाओं के लिए अनुकूल और सुरक्षित राजनीतिक वातावरण का निर्माण करें।

Young Researcher
Peer Reviewed | International Open Access Journal
ISSN: 2277-7911 | Impact Factor – 7.025| *Website:* https://yra.ijaar.co.in/
Volume-15, Issue-1 | January – February – March 2026

महिला आरक्षण और भविष्य की संभावनाएँ:

महिला आरक्षण को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का सबसे प्रभावी और व्यावहारिक माध्यम माना जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था ने यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर और प्रतिनिधित्व मिलने पर महिलाएँ नेतृत्व और प्रशासन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकती हैं।[20]

संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी प्रयास भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी और नीति निर्माण की प्रक्रिया में उनके अनुभवों और दृष्टिकोण को पर्याप्त स्थान मिल सकेगा।

भविष्य में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेतृत्व प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, राजनीतिक जागरूकता कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही राजनीतिक दलों को भी महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करने और उन्हें नेतृत्वकारी पदों पर आगे बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल करनी होगी।

यदि महिलाओं को समान अवसर, संसाधन और समर्थन उपलब्ध कराया जाए, तो वे भारतीय लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को नई दिशा और नई ऊर्जा प्रदान की है। राजनीतिक अधिकारों और संवैधानिक संरक्षण ने महिलाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक जागरूकता तथा सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति निरंतर बढ़ रही है।[21]

फिर भी वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण तभी संभव होगा, जब महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं, बल्कि निर्णय लेने, नीति निर्माण करने और नेतृत्व प्रदान करने के समान अवसर भी प्राप्त होंगे। महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी न केवल लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, बल्कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समावेशी विकास को भी सुनिश्चित करती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल अधिकार का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता है। एक ऐसा लोकतंत्र, जिसमें महिलाएँ समान रूप से भागीदार हों, अधिक न्यायपूर्ण, उत्तरदायी और समावेशी होता है। इसलिए महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. बसु, डी. डी., *भारत के संविधान का परिचय*, लेक्सिसनेक्सिस बटरवर्थ्स, नई दिल्ली, 2018, पृ. 231-236।
2. जैन, एम. पी., *भारतीय संविधान विधि*, वाधवा एंड कंपनी, नागपुर, 2017, पृ. 341-347।
3. फाडिया, बी. एल., *भारतीय शासन एवं राजनीति*, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2021, पृ. 412-425।
4. अग्रवाल, एस. पी., *भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण*, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2016, पृ. 154-170।
5. देसाई, नीरा एवं ठाकुर, उषा, *भारतीय समाज में महिलाएँ*, मैकमिलन इंडिया, नई दिल्ली, 2008, पृ. 121-134।
6. माथुर, पी. सी., *भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था*, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2015, पृ. 275-289।
7. मैथ्यू, जॉर्ज, *पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन*, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, 2005, पृ. 95-108।